बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग —1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि 24 जुलाई, 1978 ई० ।

विषय-सूची

प्रश्नों के लिखित उत्तर :—बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 4 II के परन्तुक के अन्तर्गत सभा-मेज पर प्रश्नों के लिखित उत्तरों का रखा जाना ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :—

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—13 ... ... 1—4

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :—1299, 1311, 1318, 1319, 1939, 1940, 1941, 1951, 1973 1974, 2014, 2065 । ... 5—36

परिशिष्ट :—1 (प्रश्नों के लिखित उत्तर).. .. .. .. 37—40

परिशिष्ट :—2 (प्रश्नों के लिखित उत्तर).. .. .. .. 41—134

दैनिक-निबंध 135

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है ।

या नहीं ? नन-वर्क्स से संबंधित प्रश्न का उत्तर नन-वर्क्स के मंत्री दें और वर्क्स से संबंधित प्रश्नों का उत्तर वर्क्स के मंत्री दें।

श्री इखलाक अहमद—अध्यक्ष महोदय, अभी सिंचाई विभाग से संबंधित जितने भी प्रश्न सदन में आये सरकार के तरफ से ठीक-ठीक उत्तर नहीं दिये गये। प्रश्न जो होते हैं वे बहुत अहम प्रश्न होते हैं और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हमलोग इसी उम्मीद से प्रश्न करते हैं कि सरकार जवाब देगी। मैं नहीं समझता हूँ कि कई बार नियमन होने के बावजूद भी प्रश्नों का उत्तर सरकार स्पष्ट तौर पर नहीं दे, मंत्रिमंडल का इस संबंध में कहने के बावजूद भी इस तरह की लापरवाही क्यों की ? और सरकारी अधिकारी सही जवाब तैयार कर नहीं दिया ? हमलोगों को डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूँ। हमारे प्रश्न का जवाब सरकार सही-सही नहीं दे तो फिर हमलोग क्या करेंगे ?

अध्यक्ष—आपका नाम रिकोमेन्ड कर दें तो कष्ट दूर हो जायगा। अब इस पर समय न लिया जाय।

श्री बृजकिशोर नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न.....

अध्यक्ष—माननीय सदस्य श्री बृजकिशोर नारायण सिंह, सारी चीजों को इस तरह से नहीं लिया जात है। प्रश्न स्थगित कर दिये गये, जो चिंता थी उसको बारे में जानकारी माननीय सदस्यों ने दुहरायी, माननीय सदस्य श्री इखलाक अहमद ने इसका जिक्र किया, सदन को इस तरह से मनोटौनी में रखकर काम नहीं किया जा सकता है अगली तिथि को देखा जायगा। आज आपलोगों ने जो कहा है, उस पर सरकार का असर पड़ा है। शांति, शांति

जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों वे सदन के पटल पर रख दिये जाय।

माननीय सदस्य के नाम क्रेकशन करने के संबंध में चर्चा

श्री चतुरानन मिश्र—अध्यक्ष महोदय, शून्य-काल आप शुरु करें उसके पहले मैं एक बिन्दु की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस सदन के माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, जो गिरफ्तार कर लिये गये हैं, यह परिपाटी रही है कि जब कोई माननीय सदस्य गिरफ्तार कर लिये जाते हैं तो

इसकी सूचना सदन को दी जाती है, बराबर दी जाती है, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है इस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य नहीं थे, मैंने माननीय सदस्यों को बतलाया कि एक वायरलेस मेसेस आया है, जिसमें नाम कुछ अशुद्ध लगता है, उसको भेजा है जिलाधीश को फोर करेक्शन... ।

अगर उस अशुद्ध नाम को लेकर सदन में पढ़ दिया जाय तो इससे कठिनाई होगी। वायरलेस उसमें नाम अशुद्ध था, इसलिए मैंने उसे क्रेक्शन के लिए भेजा है। लेकिन जिस गति से बात चलती है, आज अनेक दिन हो गये, मगर उसका क्रेक्शन होकर नहीं आया है मेरे पास।

श्री चतुरानन मिश्र—यह तो और भी अजीब स्थिति है। आपने क्रेक्शन के लिए भेजा और वहाँ पर कुम्भ करण लोग बैठे हुए हैं, अभी तक क्रेक्शन करके नहीं भेजा है।

अध्यक्ष—मैं इसे दिखलवा लेता हूँ। नहीं होगा तो दूरभाष से बात किया जायगा।

श्री नईम अख्तर—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और छूट गया है।

अध्यक्ष—10-15 मिनट समय ज्यादा हो गया है।

पदोन्नति को रद्द करना

1951. **श्री मिथिलेश कुमार**—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सरकारी निर्णयानुसार-तृतीय वर्ग है कर्मचारियों की विभाग में वरीयता के आधार पर पदोन्नति दी जाती है;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री शम्भुशरण श्रीवास्तव, प्रदर्शनी अधिकारी को श्रम एवं नियोजनालय विभाग से पर्यटन विभाग में माह अक्तुबर 1972 में उक्त सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था;